इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मई 2017—ज्येष्ठ 2, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2017

सूचना

क्र. एफ 3-44-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके की उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जायेगा.

ऐसे किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

1. **नियम 15 (13) (क) की प्रतिस्थापना.**—उस दशा में जहाँ कि उपांतरित भू-उपयोग नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित किए गए अनुसार है वहां आवेदक को उसमें कॉलम (3), (4) या (5), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लेखित किए गए अनुसार संगणित कर का भुगतान करना होगा:—

सारणी

क्रमांक	उपांतरित भू-उपयोग	लेव्ही कर निकटतम आवासीय भूमि उपयोग अंतर्गत विकसित भूखंड के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में रुपये/वर्गमीटर		
		निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 5.00 लाख से कम	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 5.00 लाख से 10.00 लाख	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 10.00 लाख से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आवासीय	5.50	7.00	8.50
2	वाणिज्यिक/मिश्रित*	9.00	10.00	10.00
3	औद्योगिक	2.25	2.63	3.00
3	पी.एस.पी., एवं अन्य	0.50	0.50	0.50

* मिश्रित उपयोग से तात्पर्य है सम्पत्ति का एक से अधिक प्रकार से उपयोग जैसा नगर की विकास योजना में परिभाषित हो.

2. **नियम 15 (13) (ख) का विलोपन.**—नियम 15(13)(ख) को विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2017

क्र. एफ 3-44-2017-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/44/2017/अठारह-5, दिनांक 23 मई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2017

NOTICE

No. F-3-44-2017-XVIII-5.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 which the State Government Proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with Sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 85 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

1. **Substitution of Rule 15 (13) (a),**—Substitute Rule 15 (13) (a), In case the modified land use is such as mentioned in column (2) of the table below, the applicant shall have to pay a levy calculated as mentioned in column (3) of (4) or (5) as the case may be therein:—

TABLE

Sr. No.	Modified land use	Levy expressed as percentage of Market value of nearest developed plot of Residential land use in Rs/SqM.		
		Planning area having population less tan 5 lac.	Planning area having population between 5 to 10 lac.	Planning area having population more tan 10 lac.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Residential	5.50	7.00	8.50
2	Commercial/Mixed*	9.00	10.00	10.00
3	Industrial	2.25	2.63	3.00
4	Public and Semi Public, and other uses.	0.50	0.50	0.50

*Mixed use means utilizing a property for more than one use as defined in the Development plan of the town.

2. **Deletion of Rule 15 (13) (b).**—Rule 15 (13) (b) to be deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.